भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 575

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 फरवरी, 2016 को दिया गया)

<u>कारपोरेट क्षेत्र की धोखाधड़ी</u>

575. श्री अधीर रंजन चौधरी :
श्री पी. के. बिजू :
श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों/कारपोरेट घरानों द्वारा फर्जी/गैर-कानूनी लेन-देन और खातों के मामले गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा चूककर्ताओं के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसी वित्तीय/कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): वर्ष 2012-13 से दिनांक 31.01.2016 तक मंत्रालय में कथित रूप से कपट/अवैध गतिविधियों में लिप्त 258 कंपनियों के मामलों की जांच मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के माध्यम से करवाने के आदेश दिए हैं। इनमें से 116 जांच पूर्ण कर ली गई हैं और रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है जबकि 08 मामलों में न्यायालयों द्वारा जांच पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने की गई जांचों में से 102 मामलों में जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के अनुसार चूककर्ता कंपनियों/निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 और अन्य कानूनों के तहत विभिन्न गैर- अनुपालन/अपराधों के लिए अभियोजन दायर करने के आदेश दिए हैं।

(घ): मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं :-

- "कपट" शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किया गया है;
- कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन और इसके अनुपालन के और अधिक सख्त मानदंड;

- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सांविधिक दर्जा;
- डाटा खनन और फोरेंसिक जांच आदि के माध्यम से धोखाधड़ी का पहले से पता लगाने हेतु तकनीकों का बढ़ता हुआ प्रयोग।

*****